[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 30/2017-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सा0का0नि0.... (अ)- केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, माल की अंतरराज्यिक पूर्तियों पर, जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उक्त तालिका के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, को नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है ।

तालिका

क्रम सं0	**अध्यायउपशीर्ष/शीर्ष/ टैरिफ मद**	**माल का विवरण**	**शर्त**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	0402	मक्खनीय दूध चूर्ण या सांद्रित दूध	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 12) की धारा 25 के उप-धारा (4) के अनुसार किसी सुभिन्न व्यक्ति को दूध के उत्पादन में उपयोग के लिए [डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण के लिए] आपूर्ति की जाती है , तथा मक्खनीय दूध चूर्ण या सांद्रित दूध की आपूर्ति के लिए नहीं ।

स्पष्टीकरण

(i) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

[फा.सं.354/247/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार